

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी हिण्डोली जिला बून्दी (राज०)

पोठासीन अधिकारी :- मुकेश कुमार चौधरी, आर.ए.एस. (उपखण्ड अधिकारी हिण्डोली)

प्रकरण संख्या:- 6/दावा/2020

1. श्रीमती पुष्पा आयु 54 वर्ष पत्नी स्व० श्री छोटूलाल जाति गुर्जर निवासी ग्राम रोणीजा तहसील हिण्डोली जिला बून्दी ।
2. मुकुट आयु 32 वर्ष पुत्र स्व० श्री छोटूलाल जाति गुर्जर निवासी ग्राम रोणीजा तहसील हिण्डोली जिला बून्दी ।
3. बिहारी आयु 27 वर्ष पुत्र स्व० श्री छोटूलाल जाति गुर्जर निवासी ग्राम रोणीजा तहसील हिण्डोली जिला बून्दी ।
4. प्रहलाद आयु 25 वर्ष पुत्र स्व० श्री छोटूलाल जाति गुर्जर निवासी ग्राम रोणीजा तहसील हिण्डोली जिला बून्दी ।
5. धन्नी बाई आयु 22 वर्ष पुत्री स्व० श्री छोटूलाल जाति गुर्जर निवासी ग्राम रोणीजा तहसील हिण्डोली जिला बून्दी ।

वादीगण

बनाम

1. राजस्थान राज्य जरिये श्रीमान तहसीलदार साहब, हिण्डोली जिला बून्दी राज०

प्रतिवादी

दावा पत्र अंतर्गत :- धारा 88, 89, 188 आर०टी०एक्ट

वादी अभिभाषक :- महेन्द्र कुमार जैन

प्रतिवादी - पेरोकार सरकार

निर्णय दिनांक :- 12/02/2021

निर्णय

दावा पत्र के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि वादी गण ने दावा पत्र अन्तर्गत धारा 88, 89, 188 रा०टी०एक्ट प्रस्तुत कर अंकन किया कि कृषि भूमि खसरा संख्या 1289 रकबा 01 बीघा 01 बिस्वा, खसरा संख्या 1339 रकबा 02 बीघा 18 बिस्वा, कुल किता 02 कुल रकबा 03 बीघा 19 बिस्वा वाके ग्राम रोणीजा तहसील हिण्डोली जिला बून्दी में स्थित है। उक्त भूमि वादीगण के पूर्वज श्री छोटूलाल आत्मज रामनाथ जाति गुर्जर निवासी ग्राम रोणीजा तहसील हिण्डोली जिला बून्दी को दिनांक 22.01.1983 को आवंटन हुई थी। तब से श्री छोटूलाल जी अपने जीवन पर्यान्त उक्त भूमि पर काबिज काशत रहे। श्री छोटूलाल जी का स्वर्गवास आज से वर्ष 2013 में हो चुका है और वादीगण छोटूलाल जी के वारिसान हैं। श्री छोटूलाल जी के स्वर्गवास के पश्चात् वादीगण उक्त आवंटित भूमि पर काबिज काशत है। वादीगण द्वारा अपने काबिज काशत भूमि के सरकारी लाभ प्राप्त करने

गैर पटवारी हल्का से नकल की मांग की तो उक्त भूमि अभी तक सिवायचक में ही खोला नहीं रहा है। पटवारी हल्का से जानकारी होने के बाद मालूमात की तो पता चला कि आवंटन के बाद से ही रामनाथ जी के नाम गैर खातेदारी का इन्तकाल भी नहीं खुला और न ही उनके वारिसान के नाम खुला। कानूनन आवंटन के तीन वर्ष के भीतर आवंटित भूमि आवंटित व्यक्ति के नाम खातेदारी में दर्ज कर दी जानी चाहिए थी परन्तु राजस्व अधिकारियों द्वारा न तो गैर खातेदारी का इन्तकाल खोला गया और न ही खातेदारी दर्ज की गई है। समय व्यतीत होने के साथ ही वादीगण विधिक रूप से उक्त भूमि के खातेदार कृषक बन चुके हैं। राजस्व रेकॉर्ड में खातेदार कृषक के रूप में अपना नाम दर्ज करवाने के अधिकारी है। इस हेतु राजस्व अधिकारियों से कई बार निवेदन किया लेकिन कोई कार्यवाही नहीं हुई बल्कि वादीगण से यह कहा गया कि न्यायालय में कार्यवाही करें। वादीगण ने राजस्व अधिकारियों से निवेदन किया कि हमारे पूर्वज द्वारा आवंटन की समस्त राशि जमा करवाई गई है फिर भी कोई राशि बकाया हो या कोई भी औपचारिकता वादीगण द्वारा करनी शेष हो तो उसे करने को तैयार हैं लेकिन नवम्बर 2019 में अंतिम बार इनकार कर दिया। यही वाद कारण है। वादीगण की ओर से राजस्थान सरकार को जरिये श्रीमान् जिला कलक्टर महोदय, बून्दी दिनांक 30.12.2019 को उक्त भूमि वादीगण के खाते अंकित करने भेजा परन्तु भूमि सिवाय चक होने से वादीगण को बेदखल करने की घमकी प्रतिवादीगण की ओर से दी जाने के कारण दो माह का इन्तजार किया गया तो वादीगण को बेदखल कर देंगे। इस कारण दो माह के पूर्व ही उक्त वाद प्रस्तुत किया जा रहा है। इस हेतु धारा 80(02) सीपीसी का आवेदन पृथक से संलग्न है। वादीगण उक्त भूमि के खातेदार कृषक बन चुके हैं और तदविषयक घोषणा करवाने के अधिकारी है व स्थायी निषेधाज्ञा प्राप्त करवाने के अधिकारी हैं कि वादीगण को उक्त भूमि से बेदखल नहीं करें। वाद का कारण माह नवम्बर 2019 से खातेदारी देने से इन्कार करने से लगातार उत्पन्न हो रहा है। अतः वाद अन्दर अवधि प्रस्तुत है। वाद कारण श्रीमान् के क्षेत्राधिकार में पैदा हुआ है और भूमियाँ भी श्रीमान् के क्षेत्राधिकार में स्थित है। इसलिये श्रीमान् को वाद सुनने का अधिकार प्राप्त है। वाद का मूल्यांकन 5000/-रूपये पर निर्धारित किया जाता है जिसकी निर्धारित कोर्ट फीस.....रूपये एवं उचित तलबाने पर दावा अवधि मध्य प्रस्तुत है।

अतः श्रीमान् से निवेदन है कि वादीगण के पक्ष में एवं प्रतिवादी के विरुद्ध निम्न आशय की डिक्री वाद सहित प्रदान की जावे :- वाद पत्र की चरण संख्या 01 में वर्णित कृषि भूमियों का वादीगण को खातेदार घोषित किया जाये। राजस्व रेकॉर्ड में वादीगण को नाम खातेदार के रूप में अमल फरमाया जाये। प्रतिवादी को स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द फरमाया जाये कि वादीगण को वाद पत्र की चरण संख्या 01 में अंकित कृषि भूमियों से बेदखल नहीं करें और न अन्य से ऐसा करवाये। अन्य न्यायोचित सहायता जो भी वादी प्राप्त करने का अधिकारी हो वादी को प्रदान की जावे।

दावा दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जर्ने नोटिस तलब किया गया। प्रतिवादी परोकार सरकार की ओर से जवाब पेश कर कथन किया कि वादग्रस्त आराजी संख्या 1289 रकबा 01 बीघा 01 बिस्वा, खसरा संख्या 1339 रकबा 02 बीघा 18 बिस्वा, कुल किता 02 कुल रकबा 03 बीघा 19 बिस्वा राष्ट्रीय राजमार्ग 148D से सटी हुई है। उक्त आराजियात में से कम संख्या 1 से 4 तक की खसरा संख्या 1289 रकबा 01 बीघा 01 बिस्वा में कब्जा है। खसरा संख्या 1339 रकबा 1 बीघा 10 बिस्वा में अन्य अतिक्रमी जगदीश पिता नारायण का कब्जा होना रिपोर्ट पटवारी से जाहिर है। भूमि बेशकीमती है। माननीय न्यायालय अवलोकनार्थ निर्णय हेतु पेश है।

प्रकरण में प्रस्तुत वाद व प्रतिवाद पत्र के आधार पर निम्न तनकीयात कायम की गई।

1. आया वादग्रस्त आराजी पर वादीगण स्वयं को खातेदार घोषित करवाने का अधिकारी है।

भार वादीगण

2. आया वादग्रस्त आराजी पर वादीगण प्रतिवादीगण को स्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद करवाने की अधिकारी है।

भार वादीगण

वादीगण द्वारा अपने वाद पत्र के समर्थन में शपथ पत्र प्रहलाद गुर्जर पी0डब्लू0-1, लक्ष्मण सिंह राजपूत पी0डब्लू0-2, शंकर गुर्जर पी0डब्लू0-3, अनिल सैनी पी0डब्लू0-4, नारायण सिंह राजपूत पी0डब्लू0-5 पेश किये हैं साथ ही छायाप्रति आंवटन आदेश दिनांक 22.01.1983 खसरा संख्या 1289 रकबा 1.01 बीघा व 1339 रकबा 2.18 बीघा आंवटी छोटू आ0 रामनाथ गुर्जर निवासी रोणिजा, जमाबंदी सम्वत 2072 से 2075 खसरा नम्बर 1289 व 1339, खसरा गिरदावरी सम्वत 2072 से 2075 खसरा नम्बर 1289 व 1339 व खसरा परिवर्तनशील सम्वत 2074 की छायाप्रति पेश किये हैं साथ ही तहसील कार्यालय हिण्डोली में खातेदारी लेने हेतु प्रस्तुत प्रकरण की मूल पत्रावली भी पेश की है।

हमने वकील वादीगण की बहस सुनी। वकील वादीगण ने बहस के दौरान वाद पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुये कथन किया कि वादग्रस्त भूमि खसरा संख्या 1289 रकबा 1.01 बीघा व 1339 रकबा 2.18 बीघा ग्राम रोणीजा वादीगण के पूर्वज छोटू आ0 रामनाथ गुर्जर को दिनांक 22.01.1983 को विधिवत आंवटन हुई है। उक्त भूमि वर्तमान में राजकीय सिवायचक दर्ज होने से वादीगण को सरकार द्वारा मिलने वाली कृषि योग्य सुविधाओं से वंचित रहना पड रहा है जबकि वादीगण ने उक्त भूमि को आंवटन से वर्षों पहले काफी रकम खर्च कर नातोड से आबाद कर कृषि योग्य भूमि बनाकर निरन्तर काबिज काश्त चला आ रहा है। उक्त भूमि की एवज में नियमानुसार शुल्क वादीगण अदा कर चुका है फिर भी यदि भूमि की लागत निकलती है तो वादीगण जमा करवाने को तैयार है। वादीगण अत्यन्त गरीब काश्तकार है। जोत भूमि पर काश्त कर अपना व अपना परिवार का पालन पोषण करता चला आ रहा है। वादीगण उक्त भूमि का कब्जा मुखालफाना के आधार पर खातेदार बन चुका है। राजस्व रिकोर्ड में अपना नाम खातेदार के रूप में कानूनी रूप से दर्ज करवाने का अधिकारी है। यदि प्रतिवादी द्वारा वादीगण को उक्त भूमि से बेदखल कर दिया गया तो वादीगण को अपूर्णीय क्षति होगी जिसका प्रतिवादी को कोई

व अधिकार नहीं। अतः वाद वादीगण स्वीकार फरमाया जाकर वादीगण को खातेदार रूप में अंकित किया जावे एवं प्रतिवादी को पाबंद किया जावे कि वादीगण को बेदखल नहीं करे व कब्जे काश्त में कोई हस्तक्षेप नहीं करें।

प्रकरण में वकील वादीगण द्वारा की गई बहस के दौरान प्रस्तुत सम्पूर्ण तर्कों एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों/साक्ष्यों का अवलोकन कर गहनता पूर्वक मनन किया गया। प्रकरण में तनकीवार विवेचन इस प्रकार है—

तनकी संख्या -1

आया वादग्रस्त आराजी पर वादीगण स्वयं को खातेदार घोषित करवाने का अधिकारी है।

उक्त तनकी के सम्बन्ध में वादीगण द्वारा प्रस्तुत आंवटन आदेश की छायाप्रति पेश की है जिसके अवलोकन से दिनांक 22.01.1983 को वादीगण के पूर्वज छोटू आ० रामनाथ गुर्जर निवासी रोणीजा को ग्राम रोणीजा के खसरा नम्बर 1289 में रकबा 1.01 बीघा व खसरा नम्बर 1339 रकबा 2.18 बीघा भूमि का आंवटन हुआ था। उक्त आंवटित भूमि पर कब्जे काश्त बाबत खसरा गिरदावरी सम्वत 2072 से 2075, खसरा परिवर्तनशील सम्वत 2074 प्रस्तुत की है, जिनसे वादग्रस्त भूमि पर वादीगण द्वारा काश्त करना अंकित है साथ ही वाद पत्र के समर्थन में प्रस्तुत शपथ पत्र पी०डब्लू०-1 व पी०डब्लू०-2 में अंकित तथ्यों से भी भूमि का वादीगण के पूर्वज को आंवटन होकर भूमि पर वादी का ही कब्जा काश्त होना अंकित है। साथ ही मुताबिक रिपोर्ट पटवारी/जवाब सरकार से विवादित भूमि वर्तमान में राजकीय सिवायचक दर्ज है जिसमें से खसरा नम्बर 1289 रकबा 1.01 बीघा पर ही वादीगण का कब्जा काश्त है। खसरा संख्या 1339 पर वादीगण का कब्जा नहीं है। खसरा संख्या 1339 में से 17 बिस्वा भूमि सडक परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय नई दिल्ली के नाम दजै है, शेष भूमि पर अन्य अतिकमी का कब्जा काश्त है एवं आंवटन खारिज नहीं होना भी अंकित है। उपरोक्त सम्पूर्ण तथ्यों से विवादित भूमि वादीगण को विधिवत आंवटन होना व लगातार कब्जा काश्त होने व आंवटन शर्तों की पालना करने से स्वयं को खातेदार घोषित करवाने का अधिकारी है। वादीगण के पूर्वज को आंवटित भूमि पर पूर्ण रूप से वादीगण का कब्जा नहीं होकर खसरा नम्बर 1289 पर ही कब्जा काश्त होने से वाद वादीगण आंशिक रूप से स्वीकार किये जाने योग्य है। अतः उक्त तनकी आंशिक वादी के पक्ष में निर्णित की जाती है।

तनकी संख्या-2

आया वादग्रस्त आराजी पर वादीगण प्रतिवादीगण को स्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद करवाने की अधिकारी है।


उक्त तनकी के सम्बन्ध में वादीगण द्वारा प्रस्तुत आंवटन आदेश जिसके आधार पर उसने अधिकार घोषणा चाही है वह आंवटन मुताबिक रिपोर्ट पटवारी के खारिज नहीं हुआ है। वादीगण आंवटन भूमि पर आंवटन के पश्चात् खसरा संख्या 1289 पर ही काबिज काश्त चला आ रहा है एवं आंवटन शर्तों की पालना करने से वह प्रतिवादी के विरुद्ध स्थायी निषेधाज्ञा प्राप्त करने का अधिकारी है। तनकी संख्या 1 वादी के पक्ष निर्णित की जा चुकी



ससे भी वादीगण प्रतिवादी के विरुद्ध स्थायी निषेधाज्ञा प्राप्त करने का अधिकारी है। यह तनकी भी आंशिक वादीगण के पक्ष में निर्णित की जाती है।

उक्त तनकीवार विवेचन के आधार पर वाद वादीगण आंशिक स्वीकार किये जाने योग्य होने से आंशिक स्वीकार किया जाकर विवादित भूमि खसरा संख्या 1289 रकबा 1 बीघा 1 बिस्वा भूमि वाके ग्राम रोणिजा, पटवार मण्डल रोणिजा जो कि वादीगण के पूर्वज को आवंटित हुई है, पर वादीगण को खातेदार घोषित किया जाता है। वादीगण की ओर यदि भूमि बाबत कोई राजकीय राशि बकाया हो तो जमा करने के उपरान्त रिकोर्ड में अंकन किया जावे। खसरा नम्बर 1339 रकबा 2 बीघा 18 बिस्वा मे से 17 बिस्वा भूमि जो सडक परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय के नाम दर्ज है, के अतिरिक्त शेष भूमि रकबा 2.01 बीघा जिस पर वादीगण का कब्जा काश्त नहीं है। आवंटन शर्तो की अवहेलना होने से खसरा संख्या 1339 में से शेष 2.01 बीघा भूमि का आवंटन निरस्त किया जाकर भूमि राजकीय सिवायचक दर्ज किये जाने के आदेश दिये जाते है। पर्चा डिकी जारी हो। पत्रावली फेसल शुमार की जाकर बाद तकमील नम्बर से कम होकर दाखिल दपतर हो। निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।




(मुकेश कुमार चौधरी)
उपरखण्ड अधिकारी
जि. जहानपुर